

**बुंदेली भाषा का इतिहास एवं उसकी साहित्यिक विकास यात्रा****सोनाली बुधौलिया****शोध सार****शोधार्थी, हिन्दी,जीवाजी****विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)****Paper Received date**

05/03/2025

**Paper date Publishing Date**

10/03/2025

**DOI**<https://doi.org/10.5281/zenodo.15041324>

बोली का सीधा सम्बन्ध जनता से जुड़ा है, और लोक में बिखरा है, इसी से बोली की ध्वनि प्रकृति, बोली की रूप रतला प्रकृति और बोली की भाव प्रकृति वास्तविकता के अत्यन्त समीप है। लोक के अनुभव सहज होते हैं, सरलता से उपजते हैं और सांस्कृतिक समता में फलते फूलते हैं। लोक के अनुभवों की यह सम्पदा हर स्तर पर बिखरी रहती है। लोकालुभव भाषा को जीवन्तता प्रदान करते हैं, यह जीवन्तता बोली में सर्वत्र मिल जाती है।

बुन्देलखण्ड का लोक जीवन सरलता के साथ समता और सहयोग पर आधारित है। बोली इसी समता और सहयोग को एक से दूसरे तक ले जाती है, पुलक को प्राणवान बनाती है, मुदिता को संदेह कर देती है, करुणा के आंगल में आंसू हो जाती है, उपेक्षा पर उतरकर लिहाज छोड़ देती है, मैत्री के घर पहुंचकर सांप को भी दूध पिलाने की आस्था वाँटती है और चींटी को भी न सताने के भाव में अहिंसा को विस्तार देती है, इसी से लोक की वास्तविकता भावला में है और भावना के रूप बोली और बातचीत देती है।

नाकरलीय-नाकरलीय का ऐलान लोक के अनुभवों को शिखर तक ले गया है, लोक की सहमति को सर्वोपरि मान रहा है और सर्वम् आनन्दमय की भाव भूमि को विस्तार देने वाला है। आनन्द को विस्तार देने वाली इस भावना के सम्मुख सर्व दुख मयं का मंत्र लोक के गले नहीं उतरता। लोक की आस्था सत् चित् और आनन्द में है, और निद्रा भद्रा में है असीम आस्था में है। यही असीम आस्था जीवन को जीने की ताकत देती है। जीवन जीने की अभिलाषा का आदि तो है पर अन्त नहीं है।

**मुख्यबिन्दु:** सांस्कृतिक, सरलता, आस्था, प्रकृति आस्था

**IMPACT FACTOR****5.924**



## International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

बुन्देलखण्ड का लोक जीवन जिस समता और सहयोग की धरती पर फलता फूलता है उस धरती में मुदिता के साथ है अहिंसा का भाव, किसी को न सताले की आंतरिक लालसा है। इन भावों की सम्मिलित अभिव्यक्ति बोली के माध्यम से रूप लेती है, और प्रभावपूर्ण बनाती है। यह प्रभाव अर्थ को विस्तार देता है, एवं भीतरवारे को सरबोर कर देता है।

(अ) बुंदेलखण्ड का नामकरण-

बुन्देलखण्ड भारत का हृदय प्रदेश है। यह संपूर्ण भू-भाग भाषा, संस्कृति आचार-विचार की एकरूपता के साथ ही भौगोलिक स्थिति के कारण एक सूत्र में बंधा है। प्राचीन काल में इसके रहवासी स्वाभिमान तथा वीरता के लिए विख्यात रहे हैं, इसलिये इस भूमि को वीर प्रसूता भी कहा गया है। (1)

वीर प्रसूता होने के कारण मुगलकाल से अंग्रेजों के शासन काल तक इस संपूर्ण भू-भाग में संघर्ष होता रहा, किन्तु किसी भी प्रशासक का आधिपत्य यहां के लोगों ने स्वीकार नहीं किया और जब अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति और ताकत के बल पर पराधीनता स्वीकार करने के लिए यहां आक्रामक दवाब डाला तो इसी क्षेत्र से वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में अंग्रेजी हुकुमत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बज उठा जो धीरे-धीरे पूरे भारत में फैलता गया। अंग्रेजी शासन काल तक विदेशी शासकों का यही प्रयास रहा कि यहां के लोग आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़े रहे तथा शक्ति संचय न कर सकें। इसी दुर्भावना से विदेशी शासक यहां के छोटे छोटे रजवाड़े व रियासतों को प्रोत्साहित करके उनसे दमनकारी कार्य कराते रहे थे। इसका नतीजा यह हुआ कि यह भू-भाग पिछड़ता चला गया और यहां का विकास एकदम अवरुद्ध हो गया।

उत्तर प्रदेश तथा मध्यप्रदेश दो राज्यों में विभक्त यह बुन्देलखण्ड भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेश, भाषा-बोली, सामाजिक व्यवहार और संबंधों की ऐतिहासिक विरासत में पूर्णतः एक इकाई है नगर प्रशासनिक तौर पर दो राज्यों में बंटे होने के कारण आर्थिक विकास की योजनाओं के निर्धारण एवं क्रियान्वयन हेतु यह सम्पूर्ण क्षेत्र दो भागों में बटी हुई दो पृथक इकाइयाँ हैं। (2) मध्यप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्य की महत्वपूर्ण ढंग से पृथक विशेषताओं के कारण प्रत्येक राज्य का यह क्षेत्र अपने- अपने राज्य प्रशासन की हमेशा ही उपेक्षा का शिकार रहा है। न तो उकूपक के छ जिलों का यह बुन्देलखण्ड उतना महत्वपूर्ण है, जितना पर्वतीय या पूर्वी क्षेत्र और न ही मकुप्रकू शासन के लिये यह पथरीला बुन्देलखण्ड उतना महत्वपूर्ण है। परिणाम दोनों ही राज्यों की शासन व्यवस्था से उपेक्षित भारत के हृदय प्रदेश का यह विशाल भू-भाग बुन्देलखण्ड सभी संसाधनों के उपलब्ध होते हुए भी विकास के लिए तरसता रहा है।



## International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

14-15वीं शताब्दी का बुन्देलखण्ड केवल शौर्य की दृष्टि से ही नहीं ऐश्वर्य की दृष्टि से भी पूर्ण आत्मनिर्भर राज्य था। बुन्देलखण्ड भू भाग का उत्तरी भाग जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, कृषि उपलब्ध कराते हुए आर्थिक सन्तुलन स्थापित किए हुए था। बाद में शनैः शनैः इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ तो इस क्षेत्र के शौर्य एवं ऐश्वर्य से पराभूत अंग्रेजों ने इसे सदैव के लिये दो हिस्सों में बाँटकर अलग-अलग प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत तोड़े रखने का निर्णय लिया। उन्होंने इस सम्पूर्ण क्षेत्र को टुकड़े टुकड़े करने लाय बैस्ट प्रांत तथा सेंट्रल प्रांत में शामिल कर लिया। इस तरह उन्होंने इस सम्पूर्ण भू-भाग की न केवल प्रशासनिक एकता अपितु आर्थिक विकास की रीढ़ ही तोड़ दी थी।

इस प्रकार पहले विदेशी और आजादी के बाद हमारे अपने शासकों ने इस भू-भाग और इसके निवासियों के हितों और जल भावलाओं के विपरीत इसे प्राकृतिक रूप से दो भागों में बाँटकर एक को उत्तरप्रदेश और दूसरे को मध्यप्रदेश के अधीन कर रखा है। फलस्वरूप सांस्कृतिक तथा भौगोलिक एकरूपता के विखंडित होने के साथ ही संसाधनों का बंटवारा हो गया। इसी का परिणाम है कि बुन्देलखण्ड चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्यप्रदेश में, जैसा पिछड़ा तथा गरीब पहले था, वैसा ही आज है। इस लम्बी मार का असर हम आज भी देख रहे हैं। (3)

बुन्देलखण्ड के जनपद झाँसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर महोबा तथा बांदा आदि छह जिलों के अंतर्गत आने वाले बुन्देली भू-भाग उत्तर प्रदेश के अधीन है और छतरपुर पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दतिया, भिण्ड, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, गुना, विदिशा, रायसेन, जबलपुर, नरसिंहपुर दमोह तथा सतना आदि सोलह राज्यों में आने वाला भू-भाग मध्यप्रदेश के अधीन हैं।

चटर्जी की भारत की राष्ट्रीय एटलस (1964) के अनुसार सम्पूर्ण क्षेत्र का भू भाग चाली एवं अधिकांशतः अवियल (धारबाड़) विध्याल (कुडप्पा ) तथा प्लीस्टोसीन और दक्कल ट्रेप का निर्मित है। इस सम्पूर्ण क्षेत्र का भूतल 300 मीटर ऊंचाई तक का मैदानी तथा 300 से 200 मीटर ऊंचाई तक नौतल पठारी भाग है। यहां मुख्यतः लाल, काली तथा दोमट मिट्टी पाई जाती है। सम्पूर्ण क्षेत्र में वर्षा का सामान्य औसत 800 से 875 मिली मीकू तक का है। इसकी कुल लम्बाई 410 किमीकू और चौड़ाई दो लाख वर्ग मीटर से अधिक है, जिसमें दो करोड़ के लगभग आबादी है।

बुन्देलखण्ड के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके इसके लिए आजादी के पूर्व से ही बुन्देलखण्ड के प्रबुद्ध नागरिक समाज सेवी और राजनीतिज्ञ इसके पृथक राज्य बनाने की मांग करते आ रहे हैं। इस मांग का औचित्य और जोरदार पक्ष पोषण 1955 में केन्द्र सरकार द्वारा गठित राज्य पुर्नगठन आयोग के अध्यक्ष सुविख्यात विचारक श्री पणिक्कर ने किया था। स्वाधीनता के अनन्तर केन्द्र सरकार के स्वराष्ट्र विभाग के सचिव श्री मेलल ले भी विस्तृत अध्ययन के बाद जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसमें बुन्देलखण्ड की विभाजित स्थिति को समाप्त करने की जोरदार वकालत की गई थी किन्तु उत्तर



## International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

प्रदेश और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े प्रांत होने से प्राप्त होने वाली राजनीतिक शक्ति के सहारे केन्द्र सरकार और सारे देश की राजनीति पर अपना वर्चस्व बनाये रखने की मात्र राजनीतिक स्वार्थ लिप्सा से ग्रसित इन बड़े प्रदेशों के कुछ गैर बुन्देलखण्डी प्रभावशाली राजनीतिज्ञों के कारण पृथक बुन्देलखण्ड राज्य बनाने की माँग को अनसुना कर दिया गया।

(ब) बुन्देलखण्ड का क्षेत्र-

भारत संघ तथा संविधान की जिल व्यवस्थाओं के अंतर्गत तथा औत्तित्य के आधार पर इस देश में अन्य राज्य बने हैं जैसे कर्नाटक केरल, अधिदेश तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा का हिमाचल प्रदेश आदि उन्हीं की तरह बुन्देलखण्ड को भी पृथक राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और उन्हीं की तरह अपनी क्षेत्रीय भाषा एवं क्षेत्रीय संस्कृति और अपनी उत्त परम्पराओं तथा सम्मान के सहारे अपना विकास करने की छूट बुन्देली जनता को दी जानी चाहिए।

इसे संकीर्ण भावना की सजा देने वाले न केवल इस भू-भाग के इसकी जनता के इसकी भाषा तथा संस्कृति के इसकी शानदार गौरवशाली परम्परा के प्रति दुर्भावना के शिकार हैं बल्कि सम्पूर्ण भारत की भूमि से अनजान तथा अयथार्थवादी नितन के शिकार भी हैं। (4)

राजनैतिक दृष्टि से भी बुन्देलखण्ड क्षेत्र की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। निर्वाचन के मापदण्ड भेदभावपूर्ण हैं। कई राज्यों में एक लाख से पांच लाख मतदाताओं में एक सांसद निर्वाचित होता है। जबकि बुन्देलखण्ड से आठ से बारह लाख मतदाताओं पर एक सांसद तुला जाता है। इसी प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश से एक से दो लाख मतदाताओं में एक विधायक चुना जाता जबकि बुन्देलखण्ड क्षेत्र से लोकसभा तथा विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर भी न्यायोचित प्रतिनिधित्व नहीं होता है, जबकि पिछड़े क्षेत्रों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आश्चर्य तो यह है कि अब तक बुन्देलखण्ड का कोई सांसद केन्द्रीय मंत्री नहीं बन पाया था ।

अगर बुन्देलखण्ड किसी एक प्रांत के साथ जुड़ा होता, तो शायद आज इसकी तस्वीर कुछ दूसरी होती | विभाजित बुन्देलखण्ड की कोई आवाज बुलंद करने वाला नहीं है। आधा बुन्देलखण्ड लखनऊ की ओर टकटकी लगाये देख रहा है, तो आधे से ज्यादा बुन्देलखण्ड भोपाल की कृपादृष्टि का मोहताज बना हुआ है।

उत्तर प्रदेश तथा मध्यप्रदेश सरकारों द्वारा जो योजनाएं बनायी जाती हैं. उनसे बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए न्याय नहीं हो पाता जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र के लिए विकास धनराशि को खींच ताल करते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वी पश्चिम उत्तर प्रदेश के सम्मान क्षेत्र धनराशि का अधिकांश भाग खींचकर ले जाते हैं तथा उम्र के दक्षिण भाग जो बुन्देलखण्ड का क्षेत्र है के लिए धनराशि कम मिलती है। इसी खींचतान में मकूप्र के मालवा छत्तीसगढ़ एवं बघेलखंड लिए जो उंची नीती



पहाड़ियों घाटियों एवं कन्दराओं में व्याप्त है को विकसित करने हेतु अधिक धन की आवश्यकता है। प्रतिनिधित्व कमजोर एवं बटे होने के कारण इन दोनों सरकारों में बुन्देलखण्ड की आवाज नकाराने की तरह उपेक्षित हो जाती है। (5)

बुन्देलखण्ड के लिए यदि किसी प्रकार की कोई धनराशि मिलती भी है तो जो योजनायें बनाई जाती है वे अन्य क्षेत्रों का ध्यान में रखकर बनाई जाती है, और ऐसे अधिकारियों द्वारा बनाई जाती हैं, जिन्हें इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का सही ज्ञान नहीं होता इस क्षेत्र का प्राकृतिक परिवेश भिन्न प्रकार का होने के कारण यहां योजनाएं सफल नहीं हो पाती है। दोनों सरकारों की जो योजना बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए बनती है उनमें प्रथम तो आपस में कोई तालमेल नहीं होता साथ ही दो राज्यों के क्षेत्राधिकार भी योजनाओं के लिए वाचक होते हैं।

बुन्देलखण्ड की धरती में जिप्सम, तांबा यूरेनियम ग्रेनाइट पत्थर इमारती पत्थर, गारा पत्थर चूला आदि खनिज सम्पदा के अकूत भण्डार भरे पड़े हैं। वन सम्पदा के अचार लगे हैं और नदी जल शक्ति से विद्युत उत्पादन की असीम सम्भावनायें बिखरी पड़ी है। मगर बुन्देलखण्डियों को हीरा पत्थर व अन्य खनिजों की खुदाई तथा बीड़ी पत्नी की तुलाई या बीड़ी बनवाई जैसे कामों की पूरी मजदूरी भी हाथ नहीं लगती। यदि उपलब्ध सभी प्राकृतिक स्रोतों का सही तरीके से दोहन किया जाये तो बुन्देलखण्ड अपने प्रशासनिक खर्चों के अलावा करोड़ों रुपये विकास के लिये बच सकता है। (6)

उद्योग धंधों की असीम संभावनाओं के बावजूद उनकी निरंतर कमी के कारण यहाँ के निवासी बंधुआ मजदूर बनकर अन्य राज्यों में जीविकोपार्जन के लिए परिवारों सहित दर दर भटकने के लिए विवश है। शिल्प कौशल के नाम पर चंदेरी के वस्त्र शिल्पी आज भी विश्व की सर्वश्रेष्ठ साड़ियों का निर्माण करते हैं मगर उनको कोई प्रोत्साहन नहीं है, इसी प्रकार रानीपुर टेटिकाट व शिल्पियों की अनेक गंभीर समस्यायें हैं, जिनकी ओर भी पूर्णतः उदासीनता है बुन्देलखण्ड में खैर आदि के पेड़ होते हैं उनसे कत्या उद्योग हो सकता है, मगर उस दिशा में भी कोई प्रयास नहीं किये गये हैं।

यहां सड़कें व रेलवे लाइन बहुत कम मात्रा में है, क्योंकि उबड़-खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण तथा बरसाती नाले व नदियाँ ज्यादा होने के कारण रोड नहीं बन पा रहे हैं, यद्यपि रोड बनाने का कच्चा माल जैसे बालू एवं गिडी पत्थर आदि प्रचुर मात्रा में है फिर भी रोड नहीं बन पा रहे हैं। भोपाल, लखनऊ और दिल्ली में बैठे नेता और अधिकारी बुन्देलखण्ड के दौर पर एक तो आते ही नहीं और यदि आते हैं तो एक दो शहरों को छूकर चले जाते हैं। यहां के दूर दराज गांवों में उनका दौरा कभी नहीं करते हैं।



## International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

आकार की दृष्टि से देखा जाये तो पृथक राज्य का दर्जा प्राप्त प्रदेशों में अधिकतर ऐसे ही हैं जिनसे प्रस्तावित बुन्देलखण्ड राज्य का क्षेत्रफल के मुकाबले में त्रिपुरा का क्षेत्रफल मात्र 10406 वर्ग किकुमी नागालैंड का 16579 वर्ग किकुमी मेघालयका 22409 वर्ग किकुमी मणीपुर का 22376 वर्ग किकुमी मिजोरम का 21090 वर्ग किकुमी हरियाणा का 44722 वर्ग किकुमी हिमाचल प्रदेश का 55676 वर्ग किकुमी ही है। दूसरी तरह से कहें तो उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के बाद नवें नम्बर का सबसे बड़ा राज्य प्रस्तावित बुन्देलखण्ड राज्य ही होगा। इस प्रकार राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए, क्षेत्रफल या आकार कोई शर्त है तो बुन्देलखण्ड यह योग्यता बखूबी है।

सन् 1955 में माननीय शिवकर की अध्यक्षता में बैठे राज्य पुर्नगठन आयोग ने जो भाषा संस्कृति के आधार पर राज्यों का निर्माण को नीति और सिद्धान्त बलाये थे, उस दृष्टि से भी बुन्देलखण्ड राज्य का निर्माण अवश्य हो जाना चाहिए। यदि हिन्दी भाषी उपबोलियों के आधार पर राजस्थान, हरियाणा, बिहार तथा हिमाचल प्रदेश का निर्माण हो सकता है तो बुन्देलखण्ड प्रान्त भी बनने के लिए बुन्देली भाषा बोली एवं संस्कृति अपने आप में एक ठोस आधार है अतः बुन्देलखण्ड प्रांत का निर्माण होला आवश्यक है।

### संदर्भ सूची

1. अवस्थी रामरतन स्मारिका बुन्देलखण्ड अंक, बलभद्र पुस्तकालय लौगाँव म. प्र. संस्करण 1995-96 पृ. 64
2. अवस्थी रामरतन, स्मारिका बुन्देलखण्ड अंक, बलभद्र पुस्तकालय नौगाँव म.प्र. संस्करण 1995-96 पृ. 77
3. अवस्थी रामरतन, स्मारिका बुन्देलखण्ड अंक, बलभद्र पुस्तकालय लौगाँव म.प्र. संस्करण 1995-96 पृ. 64
4. वहीं पृ. 70 गुप्त नर्मदा प्रसाद, बुन्देली संस्कृति और साहित्य, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल, संस्करण 2001. पृ. 10 गुप्त नर्मदा प्रसाद, बुन्देली संस्कृति और साहित्य, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल, संस्करण 2001 पृ. 19